Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 98-101

महात्मा गाँधी और ग्रामीण विकास

डॉ. अभिलाषा कुमारी
सहायक आचार्य (इतिहास)
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर (राजस्थान)

शोध सारांश

किसी भी देश का संपूर्ण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उस देश के गाँव का विकास न हो। महात्मा गाँधी गाँव के समग्र विकास की बात करते हैं उनकी ग्राम विकास दृष्टि केवल लोगों के जीवन स्तर और जीवन के गुणवत्ता को सुधारने की ही चिंता नहीं है बल्कि नैतिकता, शांति और सबके लिए न्याय व स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। गाँधी जी की जीवन दृष्टि का सार सबका हित एवं सबका कल्याण है। उन्होंने गाँवों के विकास एवं आम आदमी की आर्थिक भलाई के लिए खादी, स्वदेशी शिल्प, कुटीर उद्योग धंधे, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, सहकारी कृषि प्रणाली, स्वास्थ्य, बुनियादी शिक्षा, ग्राम पंचायतें, आत्मनिर्भरता,सबके लिए अनिवार्य शारीरिक श्रम आदि तत्वों को प्राथमिकता दी। गाँधीजी ने एकीकृत ग्रामीण विकास की आवश्यकता को महसूस किया, उनका मानना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय को उचित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए गाँधीवादी दृष्टिकोण ग्रामीण गणराज्यों के पुनर्निर्माण का प्रयास करता है जो अहिंसक, स्वशासित और आत्मनिर्भर होंगे। उनके आदर्श गाँव पूर्व ब्रिटिश काल का है, जब भारतीय गाँवों को स्वशासी स्वायत्त गणराज्यों का संघ माना जाता था। गाँधीजी के सपनों का भारत गाँव में बसता था और इसके लिए वे ग्रामस्वराज, पंचायती राज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गाँव में स्वच्छता एवं आत्मनिर्भरता को प्रमुख मानते थे। इस शोध पत्र में महात्मा गाँधी की ग्रामीण विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है।

संकेताक्षर—*खादी, आत्मनिर्भरता, ग्राम स्वराज्य, पंचायत, औद्योगीकरण, स्वदेशी, अहिंसा*

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील देश जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, की खुशहाली एवं समृद्धि का रास्ता गाँव की गलियों में से होकर गुजरता है। भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया पुरातनकाल से किसी ना किसी रूप में चलती आ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी यह एहसास दिलाया था कि भारत की मूल आत्मा गाँव में ही बसती है। भारत गाँवों का देश है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भाग 6,49,481 गाँवों में निवास करता है। गाँधीजी के जीवन काल में देश की स्वतंत्रता से पूर्व भी देश में गाँवों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। गाँव केवल देश के सामाजिक ताने-बाने का आधार ही नहीं अपितु भारत की विकासोन्मुख एवं समन्वयकारी संस्कृति का रक्षक तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान गाँधीजी ने एक स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न देखा था उसमें ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक बल दिया। महात्मा गाँधी का कहना था कि "मेरा विश्वास है और मैंने इस बात को अनेक बार दोहराया है कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं, सात लाख गाँव में बसा हुआ है लेकिन हम भारतवासियों का मानना है कि भारत शहरों में ही है और गाँव का विकास शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए

ही हुआ है। हमने कभी यह नहीं सोचा कि उन गरीबों को पेट भरने जितना अनाज और शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिलता है या नहीं तथा धूप व बारिश से बचने के लिए उनके सिर पर छत है या नहीं।" उन्होंने अपने सपनों के भारत में अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय देते हुए ग्रामीण विकास की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करके ग्राम स्वराज्य, पंचायतराज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गाँव की सफाई व गाँव का स्वास्थ्य और समग्र विकास के माध्यम से एक स्वावलंबी व सशक्त देश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। गाँधीजी के सक्रिय राजनैतिक जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं था, जब उन्होंने भारतीय गाँवों के पुनरुद्धार व पुनर्निर्माण के बारे में सोचा या लिखा ना हो। वे मानते थे कि ग्रामीण सभ्यता भारत के लिए उपयुक्त एकमात्र सभ्यता है क्योंकि हम ग्रामीण सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। उनके लिए गाँव सिर्फ एक भौगोलिक इकाई या एक सामाजिक वर्ग नहीं था। उनकी दृष्टि में गाँव एक सपना था, एक संस्कृति थी। जहां शहर और गाँव का जिक्र करें तो पाते हैं कि गाँधीजी ने शहरों को पश्चिमी सभ्यता, शोषण व हिंसा का प्रतीक माना। उनका ध्यान स्वतंत्रता की उपलब्धि पर था लेकिन उनकी शक्ति का आधार गाँव थे। शहरों के शोषणकारी चरित्र के विरुद्ध गाँधीजी ने छोटे, सरल और प्राकृतिक गाँव को प्राथमिकता दी तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की।

गाँधीजी के ग्राम स्वराज्य में छोटे, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, पुनर्जीवित और स्वशासी ग्राम समुदाय शामिल थे। वे स्वयं ही कानून बनाएंगे, महत्त्वपूर्ण निर्णय लेंगे, न्याय का प्रबंधन करेंगे और यह केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि शक्तिशाली आर्थिक व राजनीतिक इकाइयां होंगी। उनकी ग्रामीण विकास की रणनीति ग्राम स्वराज्य और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों पर आधारित थी। ग्राम स्वराज्य व स्वदेशी के अंतर्गत गाँधी जी ने चरखा और खादी, कुटीर उद्योग धंधों का पुनरुद्धार, गाँव के हस्तशिल्प को प्रोत्साहन, गाँव की सफाई, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु बेसिक शिक्षा आदि गतिविधियां शुरू की।गाँधीजी ने ग्राम स्वराज्य की सुंदर कल्पना इस प्रकार की—"ग्राम स्वराज्य का मेरा विचार यह है कि यह एक पूर्ण गणतंत्र होगा जो अपनी आवश्यक जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस प्रकार गाँधीजी की दृष्टि में प्रत्येक गाँव की पहली चिंता यह होगी कि वह स्वयं के खाने हेतु खाद्य फसलों और कपड़ों के लिए कपास उगाएगा। इसके पास अपनी मवेशियों के चरने के लिए जमीन होगी। वयस्कों और बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल के मैदान होंगे। सबकी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के वाटरवर्क्स होंगे। बुनियादी तालीम सबके लिए अनिवार्य होगी। जाति-पाति, ऊंच-नीच जैसे भेदभाव जो हमारे समाज में पाए जाते हैं वैसे इस ग्राम स्वराज्य में बिल्कुल नहीं रहेंगे।"[2] गाँधीजी को विभिन्न वर्गों के मध्य किसी भी प्रकार के हितों का टकराव मान्य नहीं था, वे परस्पर सहयोग पर जोर देते थे। उन्होंने अपने आत्मनिर्भर गाँव की अवधारणा में शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया। गाँधी जी ने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति श्रम नहीं करता उसे खाने का क्या अधिकार है? उनकी दृष्टि में प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी रोटी के लिए कायिक श्रम करना चाहिए।

1936 में गाँधीजी ने सेवाग्राम में ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक गतिविधियां जैसे साफ-सफाई, बेहतर कृषि प्रणालियों का प्रयोग से शुरू की। गाँवों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम में उन्होंने एक आत्मनिर्भर गाँव की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर गाँव समुदाय की वकालत की, जिसमें स्थानीय संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया। गाँधीजी की आदर्श ग्राम की संकल्पना करीब एक हजार लोगों वाले और अपने लिए पर्याप्त उत्पादन करने वाले आत्मनिर्भर गाँव की है। उनका आदर्श गाँव स्वच्छता रखेगा तथा आवास के लिए जो घर होंगे उनमें पर्याप्त रोशनी व हवा की आवाजाही होगी। सभी धर्मानुयायियों के लिए उपासना स्थल होंगे व मिलने-जुलने के लिए चौपाल होगी। गाँधी जी ने ग्राम विकास में कृषि के महत्व को भी स्वीकारा। उन्होंने अच्छी फसल के लिए बेहतर सिंचाई प्रणालियों एवं जैविक खाद के प्रयोग पर जोर दिया। कृषि का पूरा लाभ पाने के लिए सहकारी खेती अपनाने को कहा।साथ ही कृषि उपज बढ़ाने के लिए किसानों को चुनिंदा और बेहतर किस्म के बीज बोने की सलाह दी।

गाँव के विकास व सुदृढ़ीकरण के लिए ही गाँधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया।[3] उनका मानना था कि औद्योगीकरण से रोजगार कम होगा तथा ग्रामीण लोगों को रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ेगा जिससे गाँव बर्बाद हो जाएंगे।[4] मशीनीकरण का उनका विरोध इसलिए था, इससे गाँव का शोषण होता है तथा प्रतिस्पर्धा को

बढ़ावा मिलता है, उनके समाधान हेतु गाँधीजी ने स्वदेशी, कुटीर उद्योग धंधे व खादी को प्राथमिकता दी। गाँधीजी का विज्ञान, तकनीकी व मशीनरी के प्रति क्या रवैया था इसकी बात करें तो स्पष्ट है कि वे विज्ञान, तकनीकी व औद्योगिकरण के विरुद्ध नहीं थे बल्कि वे इसके अंधाधुंध वृद्धि और श्रम बचत उपकरणों के खिलाफ थे जिससे बेरोजगारी बढ़ती है।[5] गाँधीजी का मत था कि शहरों में रहने वाले लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान, जो कारखानों में निर्मित न होकर ग्राम उद्योग में उत्पादित हो, उनका उपभोग करें ताकि वे ग्रामीण विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक बन सके। उनकी दृष्टि में कोई व्यक्ति, समुदाय, गाँव या देश यदि उत्पादक नहीं, सिर्फ उपभोक्ता है तो उसका विकास न होकर पतन निश्चित है। व्यक्ति पहले उत्पादक हो, फिर उपभोक्ता, तभी उसका अस्तित्व बचा रहेगा। तभी गाँधी ने बाहर से आयातित सामान का उपयोग न करने तथा स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योग धंधों का महत्त्व प्राचीन समय से ही रहा है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय ग्राम उद्योग निर्मित उत्पादों का निर्यात विदेशों में किया जाता था किंतु ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ग्रामोद्योगों का पतन हो गया परिणामस्वरूप भारतीय गाँव गरीबी के दलदल में चले गए। गाँधीजी ने गाँव के विकास एवं ग्रामोद्योग की उन्नति के लिए कुटीर उद्योग-धंधे को बढ़ाने पर बल दिया। जिसमें उनके द्वारा चरखा तथा खादी को प्रोत्साहन देना शामिल था।[6] गाँवों के विकास में लघु व कुटीर उद्योग के योगदान को स्पष्ट करते हुए गाँधी जी ने कहा था "जब तक हम ग्राम्य जीवन को पुरातन हस्तशिल्प के सम्बन्ध में पुनः जागृत नहीं करते, हम गाँवों का विकास एवं पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे। किसान तभी पुनः जागृत हो सकते हैं जब वे अपनी जरूरतों के लिये गाँवों पर ही निर्भर रहें न कि शहरों पर, जैसा की आज।" उन्होंने आगे कहा था—"बिना लघु एवं कुटीर उद्योगों के ग्रामीण किसान मृत है, वह केवल भूमि की उपज से स्वयं को नहीं पाल सकता। उसे सहायक उद्योग चाहिए।"[7] उनका मानना था कि चरखे के जरिए ग्रामीण जन अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग कर कपड़े के मामले में स्वावलंबी हो सकेंगे। गाँधी के अनुसार, खादी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग था, खादी का उत्पादन और बिक्री ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। उनके द्वारा खादी उद्योग शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य गाँव में हर व्यक्ति को मिलने वाला रोजगार था। खादी के उत्पाद पर्यावरण हितैषी होने के साथ-साथ कृत्रिम फाइबर का विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। खादी से ग्रामीण स्तर पर सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से स्थानीय कामगारों विशेषकर महिलाओं के हुनर को बढ़ावा मिलता है। इस क्रम में खादी भारतीय वस्त्र एवं अन्य उत्पादों के क्षेत्र में सामाजिक बदलाव का प्रभावी हथियार साबित हुआ है। चरखे को ग्राम विकास व ग्रामोद्योग का प्रतीक मानते हुए गाँधी जी ने कहा था—"मैं भोजन के बिना तो रह लूंगा लेकिन चरखे के बिना नहीं रह सकता। जब मैं चरखे पर सूत कातता हूं उस समय मुझे गाँव की गरीबी की याद आती है।"[8] ग्रामीण विकास के लिए ही उन्होंने हाथ-पैर के श्रम पर आधारित कताई, बुनाई, सिलाई, तेल निकालने, बर्तन बनाने आदि उद्योगों पर जोर दिया।

ग्रामीण विकास में पंचायतों की भी अहम भूमिका है। भारतीय समाज व शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत प्राचीन अवधारणा है। जिसके स्वरूप में समय के प्रवाह के साथ-साथ बदलाव भी देखने को मिले हैं। प्राचीन समय में पंचायतों का स्वरूप कुछ और था। हम भारत के अतीत में झांके तो हमारे यहाँ प्राचीनकाल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है, भले ही इसे विभिन्न कालखंडों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता रहा हो। भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद में भी 'सभा' एवं 'समिति' के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख पाते है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता से पूर्व ही पंचायती राज की कल्पना करते हुए कहा था कि संपूर्ण गाँव में पंचायती राज होगा उसके पास पूर्ण सत्ता व अधिकार होंगे यानी उन्होंने गाँव की प्रगति को हिंदुस्तान की प्रगति से जोड़ा। गाँव का शासन चलाने के लिए बनाई गई सार्वजनिक सभा में पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। गाँव की सारी व्यवस्था गाँव के हाथ में होगी। ग्रामीण जनता में ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि अपना भला दूसरा कोई नहीं कर सकता। गाँव का कारोबार संभालने के लिए ग्राम सभा होगी जिसमें गाँव के सभी वयस्क स्त्री पुरुष सदस्य होंगे।[9] गाँव में शिक्षा, सफाई, औषधि, पेयजल की व्यवस्था जैसे कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतें करेंगी।

गाँधीजी ग्रामीण विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण के समर्थक थे। इसके अंतर्गत वे गाँव का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास परस्पर संबंधित है और विकास की प्रक्रिया में ग्रामीणों के संपूर्ण जीवन को अनुप्राणित होना आवश्यक था। गाँधीजी ने गाँवों पर बल दिया और बार-बार यह कहने

की कोशिश की थी कि गाँव की उत्पादकता ही पूरे देश में आर्थिक स्थिरता ला सकती है और इसी उत्पादकता और स्थिरता के आधार पर अन्य आर्थिकी के आयाम तय होते हैं। भारत 'गाँवों का देश' है और आज देशभर में लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतें निरंतर भारत के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही हैं। महात्मा गाँधी से पहले और उसके बाद भी ग्रामीण विकास के लिये निरंतर काम होते रहे हैं लेकिन गाँधीजी ने एक दार्शनिक की तरह इस विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा इसीलिए वो मील के पत्थर की तरह है और उनका ग्राम स्वराज अनेक दशकों बाद भी इतना ही प्रासंगिक है। क्योंकि इसमें गाँवों की आत्मनिर्भरता की बात है, उनके सशक्तीकरण की बात है, शोषण के विरुद्ध एक ठोस नीति की बात है। स्वतंत्र भारत में ग्राम विकास के नाम पर जो सरकारी नीतियां बनाई गई वे गाँधी के सिद्धांतों से हटकर थी यानी उनमें औद्योगीकरण, नगरीकरण इनको आधुनिक विकास का पर्याय माना गया। गाँधीजी ने औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के परिणामों से परिचित कराते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र भी लिखा था "मैं यह मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान को सच्ची आजादी पानी है और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया को भी, तब आज नहीं तो कल देहातों में ही रहना होगा क्योंकि कई अरब आदमी शहरों में और महलों में सुख-शांति से कभी नहीं रह सकते।" आजादी के इतने वर्षों के बाद आज ग्रामीण विकास की छवि काफी सुधरी है। गाँवों में स्कूलें, अस्पताल, शुद्ध पेयजल का प्रबंधन, पुलिस चौकी की स्थापना आदि इसके प्रमाण हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव में कमी आई है और वे चारदीवारी से निकलकर देश के आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देने लगी। भारत व राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है जैसे—भारत निर्माण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इंदिरा आवास योजना, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, महात्मा गाँधी जनभागीदारी विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना, राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना इत्यादि। इनसे गाँवों में आधारभूत ढांचागत एवं सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण देश में संचालित है। 'ग्राम स्वराज' के सपने को पूरा करने के लिये पूरे देश में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों का गठन किया गया। भारतीय संविधान में पंचायतों को विशेष महत्त्व देते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित है—"सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिये आवश्यक कदम उठाएगी एवं उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकारों से युक्त करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिये उपयुक्त हो।" तो गाँधीजी के ग्रामीण सशक्तीकरण के सपनों को धरातल पर उतारने की झलक साफ देखी जा सकती है।

निष्कर्ष

वस्तुतः अभी गाँधी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए हमें लंबा सफर तय करना बाकी है। वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में गाँवों का क्या योगदान है, यह तथ्य उजागर हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान भी गाँव की दैनिक गतिविधियां जैसे कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, लघुस्तरीय उद्योग धंधे आदि निरंतर बने रहे, इसके साथ ही शहरों से गाँव की ओर पलायन जैसी प्रवृत्ति भी सामने आने लगी हैं। अतः आज आवश्यकता है ग्रामीण विकास की वर्तमान अवधारणा पर पुनर्विचार कर गाँव के समग्र विकास की ओर ध्यान देने की। भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा अधिकाधिक ग्रामीण विकासोन्मुखी योजनाएँ प्रारंभ की जानी चाहिए तथा ढांचागत विकास को जैसे—आवास, सड़कें, दूरसंचार, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं आदि को विकसित करना होगा ताकि ग्रामीण जनों को समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

संदर्भ सूची

1. गाँधी, महात्मा, हरिजन, 4 अप्रैल, 1935
2. गाँधी, महात्मा, हरिजन सेवक, 2 अगस्त 1942
3. गाँधी, महात्मा, हरिजन, 7 अक्टूबर 1926
4. गाँधी, महात्मा, हरिजन, 30 दिसंबर 1939
5. गाँधी, महात्मा, हरिजन, 29 अगस्त 1936
6. गाँधी, महात्मा, यंग इंडिया, 3 नवंबर 1921 व 17 सितंबर 1925
7. गाँधी, महात्मा, यंग इंडिया, 21 मई 1925
8. गाँधी, महात्मा, यंग इंडिया, 8 दिसंबर 1921
9. गाँधी, महात्मा हरिजन सेवक, 2 अगस्त 1942